

अनुसूची 21-फारम सं0-113

अनुसूची 21-फारम सं0-113
संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 3488/25 आवेदन सं0 3488/15

यूनि. श्री/व्यक्ति Mr. Choudhary

According to Available Record Index- I I

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में यहाँ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0- 2008 से ता0- 2011 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला संपत्ति नष्ट अवभार से मुक्त है।

चला

है अतः

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निर्माण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश			
				निष्पादक	छावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	मकान - 110/150 Plot - 38 Plot - 201 S. Plot - 847 Plot - 544 Plot - 38 Aug 10.65 decr								

1. दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. वर्षों-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत की इनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी को सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:-

तारीख:

अवर निबंधक

फुलवारी शरीफ एवं निबंधन पदाधिकारी का पटना

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संकेत के अनुसार किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को विवादास्पद दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रमाणित देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पत्र-सामान रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके दाद दिये गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री/श्रीमति

ऋणमार् प्रमाण-पत्र द्वारा

उनके पत्र संख्या

Mr. Shree...

...

दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

अवर निबंधक

फुलवारी शरीफ

पटना

निबंधन पदाधिकारी